

कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्र सं० : 1653 / शैक्षिक / 2020

दिनांक: 10.12.2020

:: आवश्यक सूचना ::

विषय : शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किये जाने के संदर्भ में।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य पिछ़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये जिनके पिता/माता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु० 2.00 लाख तक है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन छात्रों के पिता/माता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु० 2.50 लाख तक है, शैक्षिक स्तर सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना चलाई जाती है। उक्त योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत है :

उपरोक्त विवरण त्रुटिपूर्ण होने की दशा में छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसके लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।


(सुनील कुमार)